

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक शि0स0 /

/2018-19

दिनांक 20/12/18

प्रबन्धक,

आदर्श ज्ञान सरोवर पब्लिक जू0हा0स्कूल
चिरौडी लोनी गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 19-11-2018 द्वारा विद्यालय को स्थायी मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना दिया गया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार कार्यालय के पत्रांक आशु0/1627-28/2009-10 दिनांक 22-07-2009 द्वारा आपके विद्यालय को कक्षा-नर्सरी से कक्षा-08 तक की अस्थायी मान्यता 1-7-14 से 30-6-2017 तक के लिये की गई थी।

खण्ड शिक्षा अधिकारी लोनी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-418/ 79-6-2013-18 (एम) (7)/ 89 दिनांक 08 मई 2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया है कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है। विद्यालय को भविष्य में भी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(राजेश कुमार श्रीवास)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0स0 शि0स0 /

13554-55

/2018-19

तददिनांक

प्रतिलिपि- खण्ड शिक्षा अधिकारी लोनी गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।